क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, NOIDA

पत्रांकः– 279/L-193/2024 दिनांकः– 28-06-2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Report of The Joint Committee in compliance of the order dated 23-04-2024 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 94 of 2024 Jagat Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors..

Sir,

That in compliance of the order dated 23-04-2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 94 of 2024 Jagat Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors, report of the Joint Committee is being annexed herewith for kind perusal and with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal for consideration and necessary directions.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1. District Magistrate, Gautam Buddha Nagar.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Environmental Officer, C-1 , U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 94 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Jagat Singh ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 23.04.2024 in OA 94/2024.	1-8
2	**Annexure I** – Copy of Minutes of Meeting held under Chairmanship of ADM (F/R) on 28.05.2024 and 12.06.2024.	9-12
3	**Annexure II** – Copy of Letter dated 12.06.2024 sent to Police Administration for providing requisite police force.	13
4	**Annexure III** – Copy of site inspection report.	14-17
5	**Annexure IV** – Copy of Letter sent by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar to Police Administration on 24.06.2024.	18
6	**Annexure V** – Copy of Letter sent by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar to SDM, Dadri and SDM, Sadar on 24.06.2024.	19
7	**Annexure VI** – Copy of Letter sent by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar to District Mining Officer on 24.06.2024.	20
8	**Annexure VII** – Copy of Letter sent by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar to Irrigation Department on 24.06.2024.	21
9	**Annexure VIII** – Copy of Letter sent by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar to UP Ground Water Department on 24.06.2024.	22
10	**Annexure IX** – Compliance report from UP Ground Water Department submitted on 26.06.2024.	23-27
11	**Annexure X** – Copy of Letter sent by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar to NOIDA Authority on 25.06.2024.	28

FILED BY

Regional Officer, UPPCB
NOIDA, GB Nagar

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 94/2024

In the matter of:

Jagat Singh ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent

REPORT OF JOINT COMMITTEE ON BEHALF OF DISTRICT ADMINISTRATION, GAUTAM BUDDHA NAGAR AND UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.04.2024.

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the instant matter was taken up by this Hon'ble Tribunal on basis of a complaint received by post from Shri Jagat Singh S/o Shri Rajaram, resident of Village *Gejha Tilaptabad*, Gautam Budh Nagar.
2. That it has been alleged in the said complaint that the *Gram Samaj* land at Khasra No. 202/2, 374, 376, 783 and 484 in Village *Asgarpur*, Gautambuddha Nagar and Khasra No. 1/2 and 2/2 of Village *Chak Basantpur* are being used for illegal crushing of stones and storage of coarse sand. It has also been alleged that around 150 borewells are being used for illegal abstraction of ground water in the said area.

3. That Hon'ble Tribunal has acknowledged that averments made in the application raise substantial question relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010 and has passed following orders on 23.04.2024:-

> *"…..5. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Gautam Budh Nagar and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due process of law. The Uttar Pradesh State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance…."*

4. That in compliance of above-mentioned orders of Hon'ble Tribunal, District Magistrate, Gautam Buddha Nagar constituted a Committee under the Chairmanship of Additional District Magistrate (Finance/Revenue) on 09.05.2024 to investigate the concerns raised by the complainant and take appropriate action under the provisions of law.

5. That the meeting of officials of District Administration, State Pollution Control Board, Irrigation Department, Uttar Pradesh Ground Water Department and Mining Department was called on 28.05.2024 and 12.06.2024. Minutes of said meetings are annexed as *Annexure I* of the report.

6. That in view of decision taken in above-mentioned meetings, the communication was sent to Police Administration for providing adequate police personnel on 14.06.2024 at 5:30 AM for carrying out anti-encroachment drive in the Asgarpur and Chak Basantpur area, however, the said action could not be carried out on 14.06.2024 due to non-availability of officials from the Mining Department. Copy of communication sent to Police Administration on 12.06.2024 has been annexed as *Annexure II* of the report.

7. That the site inspection for carrying out anti-encroachment drive and sealing was done by the team on 24.06.2024. The machinery used for crushing of stones in said area is mostly mobile in nature and no permanent plant machinery or labour were available on site at the time of inspection, but processed material was available in bulk. Accordingly, single entry point used for movement of for heavy vehicle and transportation of material was sealed by the Committee and was handed

over to concerned SHO, Sector 126 and officer of the revenue department. Site inspection report along with findings is annexed as *Annexure III* of the report. Photographs taken at the time of inspection have been presented hereunder.

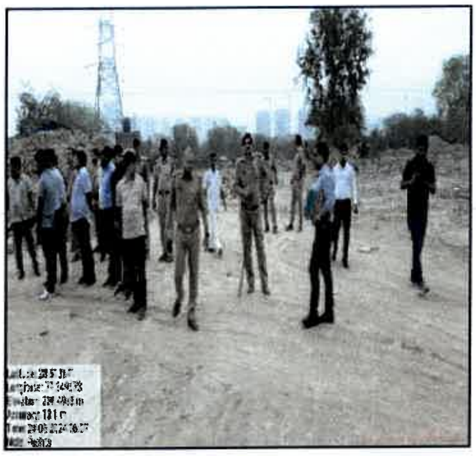

8. That the complainant in said matter, Shri Jagat Singh was contacted on his mobile by SHO, Sector 126 and requested to come for assistance, however, the complainant could not come and he informed the SHO that he is in Bulandshahr and the team may visit and do needful.

9. That in view of the findings on site, following instructions have been issued to concerned department by District Magistrate, Gautam Buddha Nagar:

a) Directions have been issued to Police Commissioner, Gautam Buddha Nagar vide letter no. 255/L-193/24 dated 24.06.2024 to ensure sanctity of the sealing done in the area through concerned SHO and also form an independent *Naka Chowki* for said area to curb such activities henceforth. Copy of the said letter has been annexed as *Annexure IV* of the report.

b) Directions have been issued to Sub-Divisional Magistrate, Dadri and Sub-Divisional Magistrate, Sadar, Gautam Buddha Nagar vide letter no. 256/L-193/24 dated 24.06.2024 to ensure sanctity of the seal in the area through concerned Lekhpal and also identify owners of concerned *Khasra No.* as per revenue records where the illegal crushing and storage of coarse sand is being carried out and initiate necessary action against defaulters. Copy of the said letter has been annexed as *Annexure V* of the report.

c) Directions have been issued to District Mining Officer, Gautam Buddha Nagar vide letter no. 257/L-193/24 dated 24.06.2024 to carry out survey of minerals/ores/sand in the area, assess its quantum and take action against defaulters under the provisions of law. Copy of the said letter has been annexed as *Annexure VI* of the report. Mining department, Gautam Buddha Nagar in turn has issued a letter to

Regional Office on 24.06.2024 to direct the surveyor to carry out survey in the said area so that further action may be initiated.

d) Directions have been issued to Irrigation Department vide letter no. 258/L-193/24 dated 24.06.2024 to identify all illegal cuts/openings on the pushta road which are being used for transportation of material from the site and get them closed. Copy of the said letter has been annexed as *Annexure VII* of the report.

e) Directions have been issued to Uttar Pradesh Ground Water Department vide letter no. 258/L-193/24 dated 24.06.2024 to carry out survey of the area, identify all illegal borewells and get them sealed and impose penalty as per provisions of law. Copy of the said letter has been annexed as *Annexure VIII* of the report. In compliance of said directions, a team of officers from UP Ground Water Department has done site inspection on 26.06.2024 and 10 borewells have been sealed. Also, electricity connection of these borewells has been disconnected. Report in this regard has been submitted by UP Ground Water Department, Gautam Buddha Nagar on 26.06.2024 and same is annexed as *Annexure IX*.

f) Directions have been issued to New Okhla Industrial Development Authority to carry out anti-encroachment drive in the area and

dismantle all structures which are being used as office or otherwise in the said area. Copy of the said letter has been annexed as *Annexure X* of the report.

10. That the said site was again visited by the team of U.P. Pollution Control Board and Mining Department at around midnight on 27.06.2024. At the time of inspection Shri Bhupendra Singh, Sub-inspector was found on duty and the seal was found intact. No activity was found in the area which was sealed on 24.06.2024 at the time of inspection. Photographs of site inspection have been presented below.

Site photographs of 27.06.2024

11.That it is humbly submitted that action has been initiated in the said matter and District Administration, Gautam Buddha Nagar is maintaining vigil in the area and shall take necessary action as per law against defaulters in the said matter.

The report is hereby being submitted in compliance of directions of Hon'ble Tribunal dated 23.04.2024 for kind perusal and further necessary directions.

(B.K. Singh)
Executive Engineer
Irrigation Department

(Utsav Sharma)
Regional Officer
UPPCB, Noida

(Atul Kumar)
Additional District Magistrate (F/R)
Gautam Buddha Nagar

Annexure-1

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2024 को अपर–जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कार्यालय में बैठक आहूत की गयी। बैठक में समिति के निम्न सदस्य उपस्थित थे–

1. श्री विवेकानन्द मिश्रा, उपजिलाधिकारी, दादरी, गौतमबुद्ध नगर।
2. श्री वेद प्रकाश, उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्ध नगर।
3. श्री उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
4. श्रीमती अंकिता राज, हाइड्रोलॉजिस्ट, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
5. श्री कुलदीप सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
6. श्री किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
7. श्री अतुल कुमार, जिलेदार, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।

बैठक में जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर एवं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग नही किया गया, उपस्थिति तालिका की प्रति संलग्न है। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

1. बैठक के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा अवगत कराया गया कि प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 03.07.2024 को नियत है व मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालनार्थ कार्यवाही कर प्रकरण में आख्या दिनांक 20.06.2024 तक जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर ससमय मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना आवश्यक है। मा0 हरित अधिकरण में दायर शिकायत का विवरण निम्नवत् है–

<u>विषयः- अवैध बदरपुर खनन एवं दूषित यमुना नदी व जल दोहनन</u> व <u>अवैध पत्थर पिसाई हेतु।</u>

निवेदन यह है कि हमारे गांव असगरपुर में ग्राम समाज की भूमि खसरा नं0-*202/2, 374, 376, 783, 484* एवं गांव चक बसन्तपुर की भूमि खसरा नं0-*1/2* व *2/2* जगत सिंह पुत्र राजाराम के नाम है। जिस पर अवैध बदरपुर का व *150* बोर बेल करके पानी की निकासी हो रही है जिस कारण ग्राम का पानी का वाटर लेबिल कम हो रहा है यमुना नदी भी दूषित हो चुकी है, हमारे मवेशी मर रहे है, हमारी फसल खराब हो रही है, हमारी गौ-माता गंदे पानी पीने की वजह से बीमार होकर मर रही है। इन अवैध हौदियों में *150* छोटी-छोटी कुँआ बना रखी है जिसमें गायें व भैंसे गिरकर मर जा रही है। सन् *2013* में बिहार के रहने वाले तीन मजदूर भी मर गये थे। एन०जी०टी० कोर्ट व सिंचाई विभाग के आदेश के अनुसार इसे बन्द करा दिया गया था। लेकिन पुलिस की मिलीभगत से खान व भू-माफियाओं ने फिर से इस अवैध गोरखधंधे का कारोबार शुरू कर दिया

है। इससे प्रदूषित होकर हमारे ग्राम के ही दूसरे किसानों की भी फसल बर्बाद हो रही है। इन हौदियों में करीब 700-800 लेवर रहते है और यमुना जी में खुले में शौच करते है जिससे यमुना का पानी बिल्कुल गन्दी हो गई है। जिससे महामारी की बीमारी फैलने की आशंका है। लगभग 100 मशीने पत्थर पिसाई एवं मलवा पिसाई करती है जिससे काफी धूल उड़ती है एवं वातावरण दूषित हो रहा है व लोगों को सांस लेने में काफी कठिनाईयों हो रही है। इसकी शिकायत पहले भी सिंचाई विभाग में किया जा चुका है।

जिसके कारण उपरोक्त लोगों में से कई लोग जेल जा चुके है। व अवैध स्टोन क्रेशर चलवाये जाने वाले मुख्य आरोपियों के नाम पता-

1. कृष्णपाल व बिजैपाल व जयकिशन पुत्र चेतराम व चेतराम पुत्र अमीचन्द निवासी-असगरपुर जागीर, थाना सैक्टर-126, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
2. मिथुन व सचिन पुत्र कृष्णपाल निवासी असगरपुर जागीर, थाना सैक्टर-126, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
3. गिरराज पुत्र धर्मसिंह निवासी असगरपुर जागीर, थाना सैक्टर-126, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
4. महावीर पुत्र परमाल निवासी-जलपुरा, थाना इकोटैक-3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
5. ललित गौगीया पुत्र किशन चन्द निवासी-289, प्रथम तल, जागृति एन्कलेव, शकरपुर, नई दिल्ली
6. जितिन पुत्र मोहन लाल निवासी-8/25, गीता कालोनी, दिल्ली, नई दिल्ली
7. हेमन्त पुत्र पूरन निवासी-8/25, गांधी नगर, नई दिल्ली
8. संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी-8/32 फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली
9. राज अरोडा पुत्र ओमप्रकाश निवासी-8/32 फायर बिग्रेड के पीछे, गीता कालोनी, नई दिल्ली
10. अनामिका गोगीया पत्नी ललित गौगीया निवासी-289, प्रथम तल, जागृति एन्कलेव, शकरपुर, नई दिल्ली
11. संदीप महेश्वरी पुत्र छगन लाल निवासी-एच०एन०-3बी हवेलिया न्यू पानी की टंकी रोड, शकरपुर, बिरूवरी, गुवहाटी, असम
12. आशुष पुत्र अशोक निवासी-मैन रोड, जिला जौरहार, असम
13. सुभाष पुत्र राम चरण निवासी घोड़ी बछेड़ा, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर

असगरपुर जागीर ग्राम सभा बंजर भूमि गाटा खसरा 202/2, 374, 376, 783, 484

चकबसन्तपुर पुराने खाते व खसरा खाता 2 खाता 3 खाता 4, गाटा 1/2, 2/2, 1ग, 5क, 14ब, 15 नये गाटा 1स, 2, 3, 4 प्रार्थी की 7 बीघा पुख्ता भूमि पर भी अवैध स्टोन क्रेशर लगा दिये गये व बांध सिंचाई विभाग 1क, 10, 11क, 12, 13, 14क, 18ग, 19, 22, 23, 24क, 25क, 26

व हाल में दिनांक 14.07.2033 को मुख्य आरोपियों व अन्य 150 लोगों पर खनन अधिकारी सिंचाई विभाग अधिकारीयों व पोलुशन विभाग नौएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा 150 लोगों पर थाना सैक्टर-126, नौएडा, गौतमबुद्धनगर में मुकदमें दर्ज कराये जाने के पश्चात भी आज तक कोई सख्त कारवाई न की गयी और अवैध स्टोन क्रेशर हटवाये गये।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त वातावरण को दूषित करने वालों व प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त व कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी द्वारा बार-2 अमरजैंसी 112 काल करने पर पीसीआर 112 द्वारा सख्त कारवाई द्वारा बन्द कराई जाती है मशीन व उसके पश्चात दोबारा चालु कर दी जाती है व रात्रि 8-9 बजे से सुबह 7-8 बजे तक चलायी जा रही है। पोलुशन नोएडा द्वारा अथक प्रयास के बाद भी ये लोग अपनी आदत से बाज न आ रहे"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 23.04.2024 को पारित आदेश की प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–1)**।

2. बैठक के दौरान सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्ध नगर के निर्देश पर दिनांक 14.07.2023 को खनन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से ग्राम असगरपुर के सामने यमुना डूब क्षेत्र में कार्यवाही करते हुये रोढ़ी, बदरपुर, पत्थर की पिसाई व धुलाई का काम बन्द कराते हुये 12 अज्ञात लोगों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी, **(संलग्नक–2)**।
3. बैठक के दौरान श्री वेद प्रकाश, उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम असगरपुर व ग्राम चकबसन्तपुर के क्षेत्रान्तर्गत में किये जा रहे पत्थर पिसाई व धुलाई का कार्य यमुना डूब क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के कार्यक्षेत्र के अधीन आच्छादित है।
4. बैठक में निर्णय लिया गया कि डूब क्षेत्र में कार्यवाही के अन्तर्गत क्षेत्र में अवैध निर्माण/कब्जा हटाया जाना आवश्यक है जिसके लिये विध्वस्तिकरण की कार्यवाही भी की जानी है। वर्तमान में चुनाव के कारण पुलिस बल उपलब्ध न होने से चुनाव उपरान्त कार्यवाही हेतु तिथि नियत करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अतुल कुमार)
अपर–जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 195/L-193/24 **दिनांकः–** 06-06-2024

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपजिलाधिकारी, दादरी/सदर, गौतमबुद्ध नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर–जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्ध नगर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में दिनांक 12.06.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के साथ दिनांक 12.06.2024 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन में ग्राम असगरपुर व ग्राम चक बसंतपुर सैक्टर–128, नोएडा के अन्तर्गत यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से किये जा रहे खनन/बालू की धुलाई व जल के दोहन एवं प्रदूषण को रोकने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अतुल कुमार)
अपर–जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 221/L-19G/24
दिनांकः– 12/6/24

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (SK), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यवाही के दौरान प्राधिकरण स्तर से किसी वरिष्ठ अधिकारी के उपस्थित हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उपजिलाधिकारी, दादरी/सदर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे कार्यवाही स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
4. जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे कार्यवाही स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता,सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे कार्यवाही स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे कार्यवाही स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे कार्यवाही स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अपर–जिलाधिकारी (वि0/रा0)
गौतमबुद्ध नगर

Annexure-2

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

सेवा में,

पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय),
गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांक: 220 / एल–194 / 2024

दिनांक : 12.06.2024

विषय : **ग्राम असगरपुर व ग्राम चकबसंतपुर सैक्टर–128, नोएडा के अन्तर्गत अवैध रूप से किये जा रहे खनन / बालू की धुलाई व जल के दोहन एवं प्रदूषण को रोकने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित ओए संख्या 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु ग्राम असगरपुर व ग्राम चकबसंतपुर सैक्टर–128, नोएडा के अन्तर्गत यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से किये जा रहे खनन / बालू की धुलाई व जल के दोहन एवं प्रदूषण को रोकने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 14.06.2024 की प्रातः 05.30 बजे बड़ी कार्यवाही की जानी है। उक्त कार्यवाही हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कार्यालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर

12/06/24

(अतुल कुमार),
अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0),
गौतमबुद्ध नगर।

प्रतिलिपि :

01. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर को अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एस0के0), नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. उप जिलाधिकारी, दादरी / सदर, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0),
गौतमबुद्ध नगर।

Annexure-3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.04.2024 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर द्वारा गठित कमेटी की स्थलीय निरीक्षण आख्या व कृत कार्यवाही का विवरण।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पत्र सं0 110/एल–193/2024 दिनांक 09.05.2024 द्वारा कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में दिनांक 28.05.2024 एवं दिनांक 12.06.2024 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय एवं पुलिस आयुक्त (मुख्यालय), गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित पत्र सं0 116/ख0अनु0–2024/दिनांक 18.06.2024 के क्रम में दिनांक 24.06.2024 की प्रातः 05:30 बजे संयुक्त समिति द्वारा ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर, नोएडा के शिकायती पत्र में उल्लिखित स्थल पर निरीक्षण व कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित विभागों के निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्रीमती चारूल यादव, उपजिलाधिकारी, सदर, गौतमबुद्ध नगर।
2. डा0 अजय कुमार, तहसीलदार, सदर, गौतमबुद्ध नगर।
3. श्री प्रतीत सिंह, नायब तहसीलदार, दादरी, गौतमबुद्ध नगर।
4. श्री मनोज दुबे, लेखपाल, ग्राम असगरपुर, नोएडा।
5. श्री मनवीर भाटी, लेखपाल, ग्राम चकबसन्तपुर, नोएडा।
6. श्री उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
7. श्री उत्कर्ष त्रिपाठी, जिला खनन अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
8. श्री किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
9. श्री पूर्णादित्य प्रताप सिंह, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।
10. श्री कुलदीप सिंह, सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
11. श्री कमलेश कुमार, अवर अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
12. श्री देवेश कुमार शर्मा, अवर अभियन्ता, सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर।
13. श्री अतुल कुमार, जिलेदार, सिचाई विभाग।
14. श्री सुभाष चन्द्र, सीचपाल, सिचाई विभाग।
15. श्री भूपेन्द्र सिंह बालियान, एस0एच0ओ0, थाना सेक्टर–126, नोएडा।
16. श्री पंकज सहरावत, सब–इस्पेक्टर, पुलिस चौकी, सेक्टर–126, नोएडा।
17. श्री दिनेश कुमार सिंह, सब–इस्पेक्टर, पुलिस चौकी, सेक्टर–126, नोएडा।
18. अन्य पुलिस बल।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शिकायती पत्र में उल्लिखित ग्राम असगरपुर व चकबसन्तपुर की उक्त भूमि एक ही स्थल पर है, जो आपस में मिली हुई है। जिस स्थल पर कार्य किया जा रहा है वह कृषि भूमि है एवं यमुना डूब क्षेत्र के अन्तर्गत है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर जाने हेतु मार्ग पर लोहे के पाईपों से तैयार अवैध रूप से की गयी बैरीकेटिंग की गयी है जिसे ताले के माध्यम से बन्द किया गया था व खोलने हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही था। निरीक्षण के समय मैटेरियल लाने व ले जाने वाले वाहनो का आवागमन हेतु इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। समिति द्वारा ताले को तोड़ कर स्थल में प्रवेश किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर बडी मात्रा में

भण्डारित पायी गयी व जल दोहन हेतु बोरवेल भी स्थापित पाये गये। निरीक्षण के दौरान पत्थर पिसाई, कटाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित व कार्यरत नही पायी गयी तथा कोई कर्मचारी उपस्थित नही पाये गये। निरीक्षण के दौरान संयुक्त समिति द्वारा निर्णय लेते हुये परिसर को जाने वाले बैरिकेटिंग गेट को सील किया गया व निर्णय लिया गया कि भण्डारित पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर का सर्वे एवं मापन कर उक्त पर जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही जिला खनन अधिकारी द्वारा सम्पादित करते हुये आख्या जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित की जायेगी।

शिकायत में ग्राम चकबसन्तपुर एवं ग्राम असगरपुर के वर्णित खसरा संख्या तथा मौके पर पाये गये खसरा संख्या के भूस्वामियों का चिन्हीकरण करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कार्यवाही राजस्व विभाग, गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। निरीक्षण के समय स्थल पर पाये गये बोरवेल को चिन्हित कर उनको सील एवं अनावश्यक कार्यवाही उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। पुस्ता की बाउण्ड्री को विभिन्न स्थलों पर तोड़ कर डूब क्षेत्र में प्रवेश किये जाने हेतु मार्ग बना लिये गये है, अवैध मार्गो को चिन्हित कर उन्हे बन्द कराये जाने की कार्यवाही सिचाई विभाग, गौतमबुद्ध नगर के पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाना अपेक्षित है। निरीक्षण के दौरान परिसर को जाने वाले रास्ते में स्थापित गेट को सील की निगरानी पुलिस विभाग एवं क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा की जायेगी, जिससे किसी तरह से मैटेरियल को हटाया न जा सके। सुपुर्दगी पत्र आख्या के साथ संलग्न है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

निरीक्षण के दौरान संज्ञान में आया कि उक्त स्थल अतिरिक्त सेक्टर 94 नोएडा के अन्तर्गत ग्राम नौरंगाबाद खादर के डूब क्षेत्र में भी उक्त कार्य किया जा रहा है। तत्क्रम में संयुक्त समिति द्वारा उक्त स्थल का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर पत्थर, सी0 एण्ड डी0 वेस्ट, स्टोन डस्ट, स्टोन सैड, बदरपुर बडी मात्रा में भण्डारित पायी गयी तथा निरीक्षण के दौरान पत्थर पिसाई, कटाई एवं धुलाई हेतु कोई प्लान्ट मशीनरी स्थापित व कार्यरत नही पायी गयी व कोई कर्मचारी उपस्थित नही पाये गये। तत्क्रम में ग्राम नौरंगाबाद खादर के डूब क्षेत्र में भी उपरोक्तानुसार विभागावार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

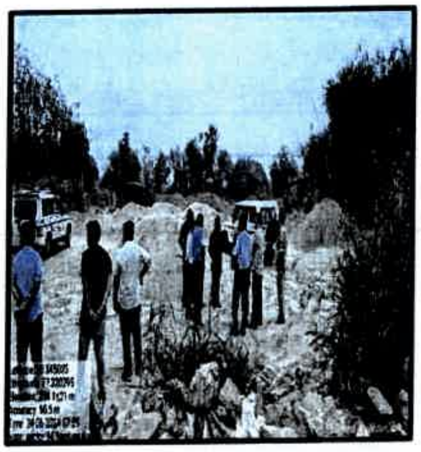

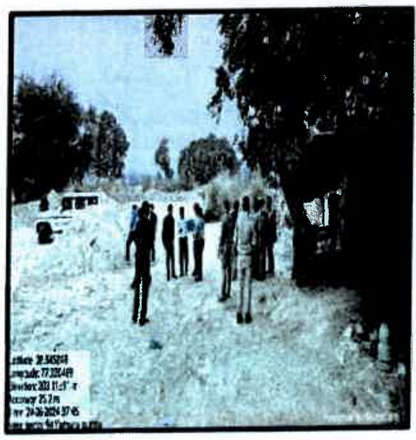

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(भूपेन्द्र सिंह बालियान)
एस0एच0ओ0,
थाना सेक्टर–126, नोएडा

(कुलदीप सिंह)
सहायक अभियन्ता,
सिचाई विभाग,
गौतमबुद्ध नगर

(उत्कर्ष त्रिपाठी)
जिला खनन अधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नोएडा।

(प्रतीत सिंह)
नायब तहसीलदार, दादरी,
गौतमबुद्ध नगर

(डा0 अजय कुमार)
तहसीलदार, सदर,
गौतमबुद्ध नगर।

(चारूल यादव)
उपजिलाधिकारी, सदर,
गौतमबुद्ध नगर।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.4.2024 में पारित आदेश के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा आज दिनांक 24/06/2024 कि सुबह में शिकायती स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान स्थल पर बड़ी मात्रा में स्टोन, सी० एंड० डी० वेस्ट, पिसाई किया गया। स्टोन डस्ट बड़ी मात्रा में भण्डारित पाया गया स्थल पर कोई प्लान्ट मशीनरी नहीं पाई गयी।

निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल हेतु बनाए गये। गेट को समिति द्वारा सील कर दिया गया है तथा उक्त की निगरानी पुलिस विभाग थाना सेक्टर-126 थाना को सुपुर्द कर दि गयी। (स्थल शिकायत में उल्लेखित स्थल ग्राम असगरपुर व चक बसन्तपुर यमुना डूब क्षेत्र)

उत्सव शर्मा
क्षेत्रीय अधिकारी
UPPCB

उत्कर्ष त्रिपाठी
खनन अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

प्रतीत सिंह
नायब तहसीलदार
दादरी

डा० अजय कुमार
24.6.24
तहसीलदार
सदर

कुलदीप सिंह
सा० अभियन्ता
सिंचाई विभाग

सुपुर्द 24-6-24

① भूपेन्द्र सिंह बालियान SHO
थाना सेक्टर-126 नोएडा

② पंकज सहरावत S.I
पुलिस चौकी सेक्टर-126 नोएडा

③

③ मनोज दुबे 24.06.24
क्षेत्रीय लेखपाल
ग्राम- असगरपुर

④ मनवीर भाटी
क्षेत्रीय लेखपाल
चक बसन्तपुर

Annexure-4

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 255/L-193/24 दिनांकः–24-06-2024

पुलिस आयुक्त,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

जैसा कि आप विगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में भी बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी, जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है। समिति द्वारा ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर में भारी वाहनों के परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु पूर्व से स्थापित बैरिकेटिंग गेट को सील किया गया है। सील सुपुर्दगी थाना अध्यक्ष सेक्टर 126 एवं पुलिस चौकी इंचार्ज सेक्टर 126, नोएडा को की गयी है। 1

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त ग्रामों एवं उक्त क्षेत्र के अन्य यमुना डूब क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित किये जा रहे पत्थर, बदरपुर, स्टोन सैड, पत्थर पिसाई का कार्य, धुलाई के कार्य को रोके जाने हेतु सम्बन्धित थाना अध्यक्ष एवं चौकी इंचार्ज को निर्देशित अथवा उक्त क्षेत्र हेतु पृथक रूप से नाका चौकी बनाये जाने का कष्ट करें जिससे किये जा रहे उपरोक्त अवैध कार्यों को रोका जा सके तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

24/6/24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

Annexure-5

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 256/L-193/24 दिनांकः–24-06-2024

1. उपजिलाधिकारी, सदर,
   गौतमबुद्ध नगर।

2. उपजिलाधिकारी, दादरी
   गौतमबुद्ध नगर

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में भी बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी, जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर, ग्राम नौरंगाबाद खादर के अन्तर्गत अपने–अपने क्षेत्र में भण्डारित मैटेरियल स्थल के खसरों के भूस्वामियों को चिन्हित कराते हुये कार्यवाही हेतु नोटिस प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही संयुक्त समिति द्वारा सील किये गये स्थल की सुपुर्दगी पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन को की गयी है, उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लेखपाल को निर्देशित करें। कृत कार्यवाही का विवरण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आख्या ससमय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। प्रकरण में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई दिनांक 03.07.2024 को नियत है।

24.6.24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

Annexure-6

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 257/ L-193/24 दिनांकः–24-06-2024

जिला खनन अधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में भी बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी, जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर, ग्राम नौरंगाबाद खादर में भण्डारित पाये गये उपरोक्त मैटेरियल का मापन/सर्वे करते हुये नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आख्या ससमय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। प्रकरण में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई दिनांक 03.07.2024 को नियत है।

24/6/24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

Annexure-7

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 250/L-193/24 दिनांकः–24-06-2024

अधिशाषी अभियन्ता
सिचाई विभाग,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में भी बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी, जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है तथा उक्त के परिवहन हेतु पुस्ता दीवार/बाउण्ड्री को तोड़कर अवैध रूप से रास्ते बनाये गये है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर, ग्राम नौरंगाबाद खादर क्षेत्र में पुस्ता दीवार/बाउण्ड्री को तोड़कर अवैध रूप से बनाये रास्तों को तत्काल बन्द किया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आख्या ससमय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। प्रकरण में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई दिनांक 03.07.2024 को नियत है।

24.6.24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

Annexure-8

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 258/L-193/24 दिनांकः–24-06-2024

अधिशाषी अभियन्ता
उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग,
गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

जैसा कि आप विगत है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में भी बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी। जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है साथ ही उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से बोरवेल स्थापित पाये गये, जिससे भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थलों पर स्थापित बोरवेलों की जांच करते हुये अवैध रूप से स्थापित बोरवेलों को सील किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही का विवरण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे आख्या ससमय में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। प्रकरण में मा0 अधिकरण के समक्ष सुनवाई दिनांक 03.07.2024 को नियत है।

24/6/24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्ध नगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर

Annexure-9

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
भूगर्भ जल विभाग, खण्ड–गौतमबुद्धनगर,
ए0ई0–18 अंसल गोल्फ लिंक–2,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः– 575 /भू0ज0वि0खं0/NGT/गौतमबुद्धनगर/दिनांक/ 26 ,जून, 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नौएडा।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं० 94/2024 जगत सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या–258/L–193/24 दिनांक 24–06–2024 के सम्बन्ध में ग्राम असगरपुर, ग्राम चक बसन्तपुर सेक्टर 128 के अतिरिक्त ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94. नोएडा के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बोरवेलों को सील करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त स्थलों पर स्थापित बोरवेलों की जांच करते हुये अवैध रूप से स्थापित कुल 10 बोरवेलों को सील करते हुये बोरवेलों के संचालन हेतु विद्युत अपूर्ति को भी विच्छेदित कर दिया गया है, इसी कम में और भी स्थलों पर अवैध रूप से स्थापित बोरवेलों की जाँच की जा रही है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अंकिता राय
(हाइड्रोलॉजिस्ट)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), गौतमबुद्धनगर।

अंकिता राय
(हाइड्रोलॉजिस्ट)

निरीक्षण आख्या

निरीक्षण का स्थान: ग्राम असगरपुर, चकबसन्तपुर सेक्टर 128, नोएडा
निरीक्षण अधिकारी : श्रीमती अंकिता राय, हाइड्रोलाजिस्ट, श्री जाफर अली, प्राविधिक सहायक, भूगर्भ जल विभाग, खंड गौतमबुद्धनगर |

मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे विचारधीन ओ०ए० संख्या 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किए जाने के क्रम में भूगर्भ जल विभाग, खंड गौतमबुद्धनगर द्वारा प्राप्त शिकायत के क्रम में सत्यापन हेतु स्थलीय निरिक्षण किया गया जिसकी बिन्दुवार आख्या आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है |

1- शिकायत पत्र में उल्लिखित स्थल **ग्राम असगरपुर, चकबसन्तपुर सेक्टर 128, नोएडा के डूब क्षेत्र** में अवैध रूप से स्थापित बोरवेल द्वारा किये जा रहे अवैध भूजल दोहन के सम्बन्ध में दिनांक 26/06/2024 को शिकायत में उल्लेखित पते पर सत्यापन हेतु स्थलीय निरिक्षण किया गया | मौके पर उक्त पते पर निरीक्षण के दौरान अब तक कुल 10 बोरवेल चिन्हित किए गए है |

2- अवैध बोरवेल की भूगर्भ जल (प्रबंधन एवम विनियम) अधिनियम-2019 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मौके पर सील किया गया तथा उनके संचालन हेतु विद्युत आपूर्ति भी विछेदित कर दी गयी है | **(फोटो संलग्न)**

3- इसके अतिरिक उक्त पते पर और बोरवेल भी पाये जाने की संभावना है जिनको चिन्हित कर सील करने की कार्यवाही जारी है | शिकायत पत्र में उल्लिखित एक अन्य ग्राम नौरंगाबाद खादर, सैक्टर 94, नोएडा मे भी अवैध बोरवेल को चिन्हित करने हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जाना है |

4- अत: अवैध भूजल निष्कर्षण सम्बंधित शिकायत की जाँच के दौरान मौके पर अभी तक कुल 10 बोरवेल स्थापित पाये गए है जिनको नियमानुसार सील कर दिया गया है तथा अन्य अतिरिक्त बोरवेल की जांच कर चिन्हित किए जाने का कार्य किया जा रहा है |

(अंकिता राय)
हाइड्रोलाजिस्ट/नोडल अधिकारी,
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
जनपद-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 576 /तद्दिनांक 26/06/2024
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।
1-जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद, गौतमबुद्धनगर।
2-अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),गौतमबुद्धनगर।
3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा |

हाइड्रोलाजिस्ट/नोडल अधिकारी,
जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद,
जनपद-गौतमबुद्धनगर

Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.513933°
Long 77.349288°
26/06/24 01:46 PM GMT +05:30
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.513853°
Long 77.349418°
26/06/24 01:45 PM GMT +05:30
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.513864°
Long 77.349291°
26/06/24 01:46 PM GMT +05:30
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.513853°
Long 77.349416°
26/06/24 01:43 PM GMT +05:30
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.513833°
Long 77.349419°
26/06/24 01:43 PM GMT +05:30
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.513367°
Long 77.349332°
26/06/24 01:42 PM GMT +05:30

1

Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
26/06/24 01:41 PM GMT +05:30

Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India

Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India

GPS Map Camera
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.512665°
Long 77.349024°
26/06/24 01:17 PM GMT +05:30

Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
Unnamed Road, Noida, Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
Lat 28.512470°

Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.512944°
Long 77.348909°
26/06/24 01:05 PM GMT +05:30

(2)

GPS Map Camera
Asagarpur Jagir, Uttar Pradesh, India
G972+J3, Asagarpur Jagir, Noida, Uttar Pradesh, India
Lat 28.512944°
Long 77.348909°
26/06/24 01:05 PM GMT +05:30
Google

③

Annexure-10

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर

पत्रांकः– 276/L-193/2024 दिनांकः– 26/06/2024

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के परिपेक्ष्य में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि नोएडा, सेक्टर–128 ग्राम चकबसन्तपुर एवं ग्राम असगरपुर के यमुना डूब क्षेत्र में अवैध खनन, पत्थर पिसाई, स्टोन/स्टोन डस्ट/बदरपुर भण्डारण एवं उक्त होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0 94/2024 जगत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 24.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 24.06.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम असगरपुर, ग्राम चकबसन्तपुर के शिकायत पत्र में उल्लिखित खसरा नम्बर पर एवं ग्राम नौरंगाबाद खादर सेक्टर 94, नोएडा के डूब क्षेत्र में बडी मात्रा में स्टोन, बदरपुर, स्टोन सैंड, स्टोन डस्ट भण्डारित पायी गयी, जो कि अवैध रूप से भण्डारित व खनन की गयी है तथा उक्त स्थलों पर कार्य के अनुश्रवण हेतु स्थायी व अस्थायी आफिस/रहने हेतु झोपड़ियां आदि बनी हुई पायीं गयीं।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि उक्त स्थलों पर बनाये गये स्थायी व अस्थायी आफिस/झोपड़ियों को हटाने/ध्वस्त किये जाने हेतु प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे किये जा रहे उपरोक्त अवैध कार्यों को रोका जा सके तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

26.6.24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर